

कार्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण, आत्मा, बोकारो

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत (2022-23)

1. कृषक का नाम.....

2. पिता का नाम.....

3. ग्राम..... पंचायत..... प्रखण्ड.....

अनुमंडल..... जिला..... प्रखण्ड.....

4. कृषक श्रेणी(उपयुक्त श्रेणी में/चिन्हलगाये)

अनुसूचित जाति()

अनुसूचित जनजाति()

पिछड़ी जाति()

अल्प संख्यक ()

महिला ()

सामान्य ()

5. उम्र(जन्म तिथि):-वर्ष.....महिना.....दिन.....

6. पहचान पत्र संख्या.....(पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)

7. कृषक के पास उपलब्ध भू-धारिता का विवरण:- (अद्यतन रसीद की प्रति संलग्न करें)

ग्राम.....खाता संख्या.....खेसरा संख्या.....रकवा(एकड़ में)

8. कृषि यंत्र का नाम.....

9. कृषि यंत्र का कुल मूल्य.....

अनुदान की राशि.....

कृषक द्वारा देय राशि.....

10. मोबाईल नं०-

11. मेरे द्वारा पूर्व(पूर्वचर्ती पाँच वर्षों में इस आवेदन से पूर्व) में उक्त यंत्र नहीं लिया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है। उक्त कृषि यंत्र का मैं स्वयं उपयोग करूँगा/करूँगी। इसे मैं 5 वर्षों तक नहीं बेचूँगा/बेचूँगी। मैं जानता/जानती हूँ कि गलत सूचना के आधार पर उक्त यंत्र प्राप्त करने के बाद प्रमाणित होने पर उक्त यंत्र की सम्पूर्ण राशि मुझसे वसूली जाएगी एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाही की जायेगी।

कृषक का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

अनुशंसा

मैं आवेदक किसान को जानता हूँ ये स्वयं कृषि कार्य करते हैं। इन्हें उक्त कृषि यंत्र उपलब्ध होने पर ये कृषि का कार्य बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इन्हें उक्त यंत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा की जाती है।

मुखिया/पंचायत समिति के सदस्य/वार्ड सदस्य/जिला परिषद

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक
सहायक तकनीकी प्रबंधक/जनसेवक